कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
पी0 एम0 जी0 एस0 वाई0 खण्ड
लो0 नि0 वि0 धारचूला
(ग्वालगॉव, व्यू प्वाइंट, तवाघाट रोड़ धारचूला)
Tele Phone No :- 05967-222008, 222041 *Email ID :- eepmgsydharchula@rediffmail.com*

पत्रांक–762/पीएमजीएसवाई/2017–18 दिनांक– 6/7/17
सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
पिथौरागढ़

विषयः– जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत टकनपुर–तवाघाट से रॉथी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 10.8 हे0 वन भूमि का गैर वानिकि कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

संदर्भः– भारत सरकार का पत्रांक– 8B/UCP/06/29/2015-FC/79 Dated. 15.04.2016 ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के द्वारा विषयाकिंत वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण पर कतिपय शर्तो के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी थी। विधिवत स्वीकृति हेतु अधिरोपित शर्तो का अनुपालन कर आख्या बिन्दुवार निम्नलिखित है।

1. शर्त संख्या 1– के अनुपालन मे **20.16** हे0 सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु रू0 4974523.00 (उनपचास लाख चौहत्तर हजार पॉच सौ तेईस रुपये मात्र) की धनराशि का चालान ऑनलाईन संलग्न पत्रानुसार अपलोड /जमा किया जा चुका है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित ग्राम रॉथी तहसील–धारचूला जिला पिथौरागढ़ की सिविल सोयम वनभूमि जिसका क्षेत्रफल 20.16 हे0 वनविभाग के पक्ष में नामान्तरित/हस्तान्तरित कर दिया गया है। जिसकी खतौनी की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

2. शर्त संख्या 2– के अनुपालन मे रू0 7549200.00 एन0पी0वी0 की धनराशि जमा कर दी गई है।

3. शर्त संख्या 3– शुद्व वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोत्तरी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी, का वचन बद्वता है।

4. शर्त संख्या 4– के अनुपालन में एन0पी0वी0 एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि Online portel के माध्यम से जमा कर दी गयी है, चालान की प्रति संलग्न है।

5. शर्त संख्या 5– के अनुपालन में सड़क निर्माण के पश्चात जहा–जहॉ सम्भव हो सडक के दोनो किनारो तथा Central Verge पर प्रयोक्त अभिरकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देखरेख में Strip Plantation की जाएगी। जो वचन बद्वता है।

6. शपथ पत्र पूर्व में प्रस्तुत किया गया है।

यथोपरि।

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0,खण्ड
लो0नि0वि0, धारचूला।

प्रतिलिपिः—

1. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. अपर सचिव मा0 मुख्यमंत्री जी / पी0एम0जी0एस0वाई0, उत्तराखण्ड शासन।
3. अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग—4, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. अपर प्रमुख वनसंरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वनसंरक्षण इन्दिरा नगर फारेस्ट कॉलोनी देहरादून।
5. मुख्य अभियन्ता, यू0आर0आर0डी0ए0, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।
6. जिलाधिकारी, जनपद—पिथौरागढ़।
7. प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

6/7/17

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0,खण्ड
लो0नि0वि0, धारचूला।

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 20-02-2017

Agency Name.	PMGSY
Application No.	11396542015919
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/27/2015
Location.	UTTARANCHAL
Address.	E.E. PMGSY P.W.D DHARCHULA,Pithoragarh
Amount(in Rs)	13955834/-

Amount in Words :One Crore Thirty-Nine Lakh Fifty-Five Thousand Eight Hundred and Thirty-Four Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	**UTTARANCHAL CAMPA**
IFSC Code:	**CORP0000371**
Pay to Account No.	**1508911396542015919** Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	**Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003**

- **This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only**
- **This challan is valid only for seven days.**

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 20-02-2017

Agency Name.	PMGSY
Application No.	11396542015919
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/27/2015
Location.	UTTARANCHAL
Address:	E.E. PMGSY P.W.D DHARCHULA, Pithoragarh
Amount(in Rs)	13955834/-

Amount in Words :One Crore Thirty-Nine Lakh Fifty-Five Thousand Eight Hundred and Thirty-Four Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	**UTTARANCHAL CAMPA**
IFSC Code:	**CORP0000371**
Pay to Account No.	**1508911396542015919** Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	**Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003**

- **This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only**
- **This challan is valid only for seven days.**

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय,
पिर्यसन रोड,
वन अनुसंधान संस्थान परिसर,
पो0ओ0 न्यू फॉरेस्ट ,देहरादून–248006
दूरभाष: 0135–2750809,
ईमेल/Email – moef.ddn@gmail.com

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT,
FORESTS & CLIMATE CHANGE,
REGIONAL OFFICE,
Pearson Road, FRI Campus,
P.O. New Forest, Dehradun – 248006
Phone: 0135-2750809

पत्र सं0 08बी/यू0सी0पी0/06/27/2015/एफ0सी0/2572 दिनांक:25/02/2016

सेवा में,
अपर मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड, देहरादून।

विषय : जनपद–पिथौडागढ में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत गस्कू जिमाफी–कुरीला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 12.035 है0 वन भूमि का ग्रामीण विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ : ऑन लाइन प्रस्ताव संख्या–FP/UK/ROAD/9654/2015 एवं अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन का पत्रांक 191/X-4-15/1(88)/2015 दिनांक 13.04.2015

महोदय,

उपरोक्त विषय पर Online Proposal No. FP/UK/ROAD/9654/2015 एवं अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र के अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

इस विषय में मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण पर समय–समय पर राज्य सरकार से आवश्यक जानकारियां/ दस्तावेज online मंगवाए जाते रहे है, जिनके प्राप्त होने के उपरान्त प्रस्ताव पर Regional Empowered Committee (REC) की दिनांक 22.07.2015 को हुई बैठक में चर्चा की गई। REC द्वारा वांछित आवश्यक सूचनाओं/दस्तावेजों के प्राप्त होने के उपरान्त केन्द्र सरकार जनपद–पिथौंडागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गस्कू जिमाफी–कुरीला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 12.035 है0 वन भूमि का ग्रामीण विकास विभाग को प्रत्यावर्तन हेतु **सैद्धान्तिक स्वीकृति** निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान करती है:

1. **प्रयोक्ता अभिकरण** द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 24.070 है0 ग्राम–रांथी सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।

3. शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोतरी होती है, तो वढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।

4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र संख्या 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाता संख्या 037100101025229 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लॉक–11 भूतल, सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज–1, लोधी रोड, नई

दिल्ली–110003 में जमा कराया जाए एवं इस कार्यालय को सूचित किया जाए। **धनराशि का हस्तान्तरण Online portal के माध्यम द्वारा ही किया जाना आवश्यक है।**

5. **सडक निर्माण के पश्चात्** जहां–जहां सभंव हो सडक के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में strip plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी। कृपया अपूर्ण परिपालना आख्या इस कार्यालय को प्रेषित न की जाये। राज्य सरकार द्वारा विधिवत् स्वीकृति तथा प्रयोक्ता अभिकरण को वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी जब तक वन भूमि हस्तान्तरण की विधियत् स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जारी नहीं की जाती।

सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या प्रेषित करने के पश्चात् **विधिवत् स्वीकृति अन्य आवश्यक शर्तो सहित निम्नलिखित शर्तो के साथ प्रदान की जायेगी:–**

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जाएगी।
2. एन.पी.वी. की दरो में अगर बढोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।
3. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
4. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का चार फीट ऊँचे आर0सी0सी0 पिलर लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forward एवं Back bearing अंकित किया जायेगा।
5. सड़क निर्माण के पश्चात् जहां–जहां सभंव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में strip plantation की जाएगी।
6. प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिये रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनो को क्षति न पहुँचे।
7. परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचायी जायेगी।
8. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नही किया जायेगा।
9. कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 393 से अधिक न हो।
10. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।
11. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
12. यदि विधिवत् स्वीकृति में दी गई शर्तो का संतोषजनक अनुपालन नहीं किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय,

(एम0एस0 नेगी)
वन संरक्षक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. अपर वन महानिदेशक (एफ0सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

(एम0एस0 नेगी)
वन संरक्षक

10 119
15045
17-2-17

पत्रांक संख्या 05
को 20-1-17
क्रमांक 01
पंजिका संख्या ...2010
दिनांक 13-12-16

आदेश

अपर सचिव, वन उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–08 बी/यू.सी.पी./06/29/2016/एफ.सी./79 दिनांक 15.04.2016 के द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत टनकपुर तवाघाट मोटर मार्ग से रांथी मोटर मार्ग हेतु 10.8 है0 वन भूमि का प्रत्यावर्तन की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 21.600 है0 सिविल भूमि वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण की शर्त पर तथा पत्र संख्या–08 बी/यू.सी.पी./06/27/2015/एफ.सी./2472 दिनांक 26.02.2016 के द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत गस्कू जिमाफी–कुरीला मोटर मार्ग हेतु 12.035 है0 वन भूमि का प्रत्यावर्तन की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 24.070 है0 सिविल भूमि वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण की शर्त पर सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है।

राजस्व अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–2173/XVIII(II)/2012–18 (120)/2010 दिनांक 17.12.2012 में निहित प्राविधानों के अनुसार जनपद पिथौरागढ़ में उक्त परियोजनाओं के निर्माण में आ रही 22.835 है0 वन भूमि के बदले उप जिलाधिकारी धारचूला की सहमति/संस्तुति के आधार पर ग्राम रांथी पट्टी रांथी तहसील धारचूला के गैर ज.वि. खतौनी गैर ज.वि. खतौनी खाता संख्या–357 श्रेणी–9(3) ख(2) झाड़ी के खेत नम्बर–78 रकबा 20.391 है0, 79 रकबा 25.279 है0 कुल 02 खेतों की 45.670 है0 सिविल भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

तहसीलदार धारचूला स्वीकृत भूमि का हस्तान्तरण/नामान्तरण वन विभाग के नाम करना सुनिश्चित करें।

दिनांक दिसम्बर 07, 2016

(डॉ0रंजीत कुमार सिन्हा)
जिलाधिकारी पिथौरागढ़।

कार्यालय जिलाधिकारी पिथौरागढ़।
संख्या– 377/सात– 05 /2016–17 दिनांक दिसम्बर 13, 2016

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़।
2. प्रभारी अधिकारी वन, जिला कार्यालय पिथौरागढ़।
3. उप जिलाधिकारी गंगोलीहाट।
4. अधिशासी अभियन्ता, पी.एम.जी.एस.वाई. खण्ड धारचूला।
5. तहसीलदार धारचूला को प्रश्नगत भूमि के खसरे की प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नियमानुसार स्वीकृत भूमि का वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण कर अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(डॉ0रंजीत कुमार सिन्हा)
जिलाधिकारी पिथौरागढ़।

गैर ज0वि0 नकल खतौनी　　　ग्राम–रौंथी　　　फसल– ग्राम–रौंथी　　　पट्टी –

श्रेणी – 9 (3) ख (2) झाड़ी

खाता नं0	नाम–खातेदार	जोतक का वर्ष	खेत नं0	क्षेत्रफल	लगान	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
357			2	10.16		श्रीमान जिलाधिकारी के पत्र सं0– 377 / सात–05 / 2016–17 दिनांक दिसम्बर 13 / 2016 एवं शासनादेश सं0– 2173 / XVIII(II) / 2012 18(120) / 2010 दिनांक 17.12.2012 के अनुसार (टनकपुर–तवाघाट मोटर मार्ग से रौंथी मोटर मार्ग व गस्कू जिमाफी से कुरीला मोटर मार्ग 22.835 हे0 वनभूमि के बदले 45.670 हे0 भूमि खसरा न0 78 मध्य 20.391 हे0 व खसरा न0 79 मध्य 25.279 हे0 कुल 45.670 हे0 भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम हस्तान्तरण / नामान्तरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
			3	25.083		
			7	7.831		
		कमशः				
			8	0.352		
			37	1.138		
			76	7.711		
		कमशः				
			78	20.391		
			79	29.336		
			80	3.636		
		कमशः				
			82	3.876		
			83	10.406		
			93	18.243		
		योग	12	**138.167**	**हेक्टर**	

महोदय

असल से नकल कर खतौनी नकल तैयार किया।

तहसील- धारचूला
जिला- पिथौरागढ़